5 रु. Rs.5 5 रु. Rs.5

भारत INDIA

पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES

विलोपित

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल बोर्ड ग्वालियर म.प्र.

प्र/निगरानी/दमोह/भू.रा/2018/0157

1. उत्तम धानक आयु 65 वर्ष बल्द स्व0 श्री शुक्ला धानक

2. लच्छीबाई उम्र करीब 60 वर्ष पुत्री स्व0 शुक्ला धानक

निवासी ग्राम अभाना तह0 अभाना जिला दमोह म.प्र.

... आवेदक/रिवीजनकर्तागण

॥ विरूद्ध ॥

1. हरिराम आयु करीब 55 वर्ष पिता आलम धानक

2. तुलसिया आयु 65 वर्ष पुत्री आलम धानक

3. सुम्मेरा पिता जीवन धानक

4. मुलाबाई पुत्री जीवन पत्नि तिजई धानक

5. रतूआ उर्फ रतिराम बल्द कूरा

6. बड़ी बिन्ना पुत्री कूरा पति रघुवर धानक

7. प्रेमबाई पुत्री कूरा पति बलीराम धानक

8. कलाबाई पुत्री कूरा पति बलीराम धानक

9. मोतीबाई (गोमतीबाई) पुत्री कूरा पति गुलाब धानक

सभी निवासी ग्राम भूरी ग्राम अभाना तह दमोह

जिला दमोह म.प्र. ..अनावेदकगण

बी.डी. बंसल अभि. द्वारा आज दि0 4-1-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 6-2-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 4-1-18

राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

4-1-18

निगरानी (रिवीजन) अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

रिवीजनकर्ता आवेदकगण उत्तमधानक की ओर से निम्न प्रार्थना है :--

रिवीजनकर्ता निम्न न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर के प्र0क्र0 0065 अपील वर्ष 2017-18 आदेश दि0 23.10.2017 से दुखित होकर निम्न गुणदोषों के आधार पर यह रिवीजन प्रस्तुत करते है :-

1- यहकि, अपीलार्थीगण अभाना तह0 व जिला अभाना (दमोह) के स्थायी

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/दमोह/भू.रा./2018/0157

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21/03/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बी.डी. बंसल उपस्थित। उन्हें ग्राहयता के बिन्दु पर सुना गया। उनके द्वारा बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 20 दिन विलंब से अपील पेश हुई थी, आवेदक ने अपील के संबंध में पर्याप्य कारण दिए थे, परंतु अपर आयुक्त ने निगरानी को अवधि वाहय मानकर निरस्त किया है, जो अवैधानिक है। अत: निगरानी ग्राहय की जाए। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 4 की कंडिका 30 के तहत अपील पेश की गई है। चूंकि राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत राजस्व मंडल को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है, ऐसी स्थिति में यह निगरानी क्षेत्राधिकार न होने से अग्राहय की जाती है। आवेदक सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं। **प्रशासकीय सदस्य**	